संख्या-163/2018/1968/6-पु-7-2018-167/2016

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मख्यालय,
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2018

विषय- जनपद ललितपुर एवं जनपद मैनपुरी की पुलिस लाइन में टाइप-ए 16 नग एवं टाइप बी-32 नग आवास एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु डी0पी0आर0/पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या:ग्यारह-162-2016(ललितपुर), दिनांक 26.10.2017 एवं पत्र संख्या-ग्यारह-117-2016 दिनांक 02.12.2017, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2174/6-पु0-7-2016-167/2016, दिनांक 15.12.2016 द्वारा स्वीकृत लागत क्रमश: रू0 1244.79 लाख एवं 870.93 लाख के सापेक्ष क्रमश: रू0 350.00 लाख तथा रू0 150.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है । प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए क्रमश: रू0 1462.95 लाख एवं रू0 989.65 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवमुक्त धनराशि क्रमश: रू0 350.00 लाख एवं रू0 150.00 लाख समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि क्रमश: रू0 1112.95 लाख एवं रू0 839.65 लाख में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट व्यवस्था के दृष्टिगत क्रमश: रू0 300.00 - 300.00 लाख, कुल रू0 600.00 लाख (रू0 छ: करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	डी.पी.आर.के आधार पर पुनरीक्षित स्वीकृत लागत (जीएसटी सहित)	अब तक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आवंटित धनराशि
1.	ललितपुर	जनपद ललितपुर की पुलिस लाइन में टाइप-ए 16 एवं टाइप-बी 32 नग आवास एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	1244.79	1462.95	350.00	1112.95	300.00
2	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी की पुलिस लाइन में टाइप-ए 16 एवं टाइप-बी 32 नग आवास एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	870.00	989.65	150.00	839.65	300.00

(1) शासनादेश दिनांक 15.12.2016 एवं 18.08.2017 में अंकित शर्तो के अनुसार निर्माण कार्यो को कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2019 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त आवश्यक वैधानिक आनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजना में पुनरावृत्ति/द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

(7) प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की सीमा तक अवशेष धनराशि चालू कार्य के रूप में पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जाएगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:07/2017/बी-1-823-/10-2017-एम-04/2017 दिनांक 21.06.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(10) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर भविष्य में धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

(11) पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वन्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जी0ई0एम0)/ई-टेण्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(12) पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारिम समय अवधि में ही पूर्ण कराया जाय ।

(13) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(14) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

(15) प्रश्नगत प्रायोजना में जीएसटी की धनराशि को सम्मिलित करते हुए संशोधित शासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय जीएसटी की शुद्ध गणना हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे । किसी भी वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे ।

2- पुलिस मुख्यालय द्वारा भविष्य में निर्माण कार्यो को पूर्ण करने में बिलम्ब को कम करने तथा निर्माण इकाई पर गहन परीक्षण व पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे जिससे मूल स्वीकृत लागत में टाइम ओवर रन व कास्ट ओवर रन कम हो सके। निर्माण के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाय। भविष्य में पुन: पुनरीक्षित आगणन के आधार पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं स्वीकृत की जायेगी।

3- प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-26 के अधीन लेखाशीर्षक-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-211-पुलिस आवास-06-पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य" मद से वहन की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-12-1643/दस-2018 दिनांक 01 नवम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
पद्माकर शुक्ला
अनु सचिव।

संख्या-163/2018/1968(1)/6-पु0-7-2018 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पुलिस आवास निगम, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी सिविल लाइन इन्दिरा भवन इलाहाबाद ।
7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12
8- वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1/2
9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
पद्माकर शुक्ला
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in